

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०- A -2,
श्यामली कॉलोनी, राँची- 834002

राँची, दिनांक-02.4.19

विषय:- डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्शन निर्माण हेतु पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP mode) से हजारीबाग तक (Detour Section) के निर्माण हेतु कुल-203.803 हे० वन भूमि (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 121.003 हे० एवं वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत 82.80 हे०) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्शन निर्माण हेतु पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP mode) से हजारीबाग तक (Detour Section) के निर्माण हेतु कुल-203.803 हे० वन भूमि (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 121.003 हे० एवं वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत 82.80 हे०) अपयोजन से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-174 दिनांक-08.02.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित 203.803 हे० वन भूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुने अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

01/2

- (iv) गौतम बुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी में पड़ने वाले वनभूमि के संबंध में NBWL की स्टैंडिंग कमिटी की अनुशंसा में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

कृपया विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- वन भूमि-07/2019- 1248 व०प०, राँची दिनांक- 02.4.19
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

ज्ञापांक- वन भूमि-07/2019- 1248 व०प०, राँची दिनांक- 02.4.19
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन
संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/मुख्य योजना प्रबंधक,
DFCCIL, 18/N (Ground Floor) ब्लॉक-A, न्यू अलीपुर (माजेरहत पुल के समीप), कोलकाता,
पश्चिमी बंगाल-700053 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 203.803 ha of Forest Land for Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited in Hazaribagh district, Jharkhand.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 203.803 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-1248 dated-02.04.2019.

Signature:

24/19

Name & Designation: Sunil Kumar
(O.S.D)

Forest, Environment & Climate
Change Department,
Jharkhand Ranchi.

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:02.04.2019

Place: Ranchi